

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या \_\_\_\_\_/एक-4/अनुदान/2010-11/दिनांक: इलाहाबाद, 10/2/2010. \_\_\_\_\_  
5122-5171

समस्त संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त,  
जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए घनावंटन।

शासनादेश संख्या 503 ई-1/तेरह-09-18/2010 दिनांक: 01 अप्रैल, 2010. द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए घनावंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-1 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-" 2039-राज्य उत्पाद शुल्क" में विभिन्न इकाइयों को संलग्न विवरण के अनुसार उनके नाम के सम्मुख मद में अंकित धनराशि आवंटित की जाती है।

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जिस मद में जिस प्रयोजन हेतु अनुदान आवंटित किया गया है उसी प्रयोजन हेतु उसका उपयोग किया जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता बरती जाय, जहाँ आवश्यक हो स्टोर परचेज नियमों का पालन किया जाय। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक धनराशि कोषागार से आहरित न की जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्ययाधिक्य के लिए आहरण-वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 का प्रेषण प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त आवंटन केन्द्रीय आवंटन पंजिका के पृष्ठ संख्या 72 के क्रम संख्या 25 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(Mdm)  
10.02.10  
(लोरिक यादव)  
वित्त नियंत्रक

संख्या \_\_\_\_\_/एक-4/अनुदान/2010-11/दिनांक: उपरोक्तानुसार।  
5122-5216

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

(Mdm)  
10.02.10  
(लोरिक यादव)  
वित्त नियंत्रक

सं० 5128-5171 / एक-4/अनुदान/2010-2011 दिनांक 10/8/2010			
लेखा शीर्षक- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर			
001-निदेशन तथा प्रशासन			
04-जिला कार्यकारी अधिष्ठान			
डिजिट कोड- 2 0 3 9 0 0 0 0 1 0 4 0 0			
आहरण वितरण अधिकारी का कोड-2003			
क0सं0	कार्यालय का नाम	08-कार्यालय व्यय	योग
1	2	3	4
सहायक आबकारी आयुक्त			
1	गोरखपुर	71500	71500
2	कानपुर देहात	29000	29000
3	चन्दौली	12000	12000
4	गाजीपुर	12000	12000
5	जौनपुर	14000	14000
6	कौशाम्बी	12000	12000
7	फतेहपुर	18000	18000
8	प्रतापगढ़	21500	21500
9	सोनमद्र	12000	12000
10	सन्त रविदासनगर	12000	12000
11	बलिया	31000	31000
12	मऊ	12000	12000
13	देवरिया	29500	29500
14	महराजगंज	21500	21500
15	कुशीनगर	19500	19500
16	सिद्धार्थनगर	25500	25500
17	सन्त कबीर नगर	10000	10000
18	हरदोई	21500	21500
19	खीरी	21500	21500
20	रायबरेली	29500	29500
21	सीतापुर	21500	21500
22	उन्नाव	14000	14000

(Signature)  
10.08.16

23	अम्बेदकर नगर	29000	29000
24	बहराइच	12000	12000
25	बलरामपुर	12000	12000
26	श्रावस्ती	10000	10000
27	मुरादाबाद	49000	49000
28	ज्योतिबाफूलेनगर	12000	12000
29	फिरोजाबाद	21500	21500
30	महामायानगर	20000	20000
31	मथुरा	14000	14000
32	एटा	12000	12000
33	मैनपुरी	12000	12000
34	कांशीरामनगर	12000	12000
35	इटावा	27000	27000
36	औरैया	10000	10000
37	फरुखाबाद	12000	12000
38	कन्नौज	12000	12000
39	जालौन	27000	27000
40	ललितपुर	19500	19500
41	बांदा	29500	29500
42	चित्रकूट	10000	10000
43	हमीरपुर	21500	21500
44	महोबा	19500	19500
	योग	874500	874500

(रुपये आठ लाख चौहत्तर हजार पांच सौ मात्र)

(लोरिक यादव) 10.08/10

वित्त नियंत्रक

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 5217-5243/एक-4/अनुदान/2010-11/दिनांक: इलाहाबाद, 10/9/2010.

समस्त संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त,  
जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए घनावंटन।

शासनादेश संख्या 503 ई-1/तेरह-09-18/2010 दिनांक: 01 अप्रैल, 2010. द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए घनावंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-1 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-" 2039-राज्य उत्पाद शुल्क" में विभिन्न इकाइयों को संलग्न विवरण के अनुसार उनके नाम के सम्मुख मद में अंकित धनराशि आवंटित की जाती है।

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जिस मद में जिस प्रयोजन हेतु अनुदान आवंटित किया गया है उसी प्रयोजन हेतु उसका उपयोग किया जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता बरती जाय, जहाँ आवश्यक हो स्टोर परचेज नियमों का पालन किया जाय। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक धनराशि कोषागार से आहरित न की जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्ययाधिक्य के लिए आहरण-वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 का प्रेषण प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त आवंटन केन्द्रीय आवंटन पंजिका के पृष्ठ संख्या 12 के क्रम संख्या 91 पर अंकित है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(लोरिक यादव) 10.08.10  
वित्त नियंत्रक

संख्या 5244-5272/एक-4/अनुदान/2010-11/दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

(लोरिक यादव) 10.08.10  
वित्त नियंत्रक

सं 5917-5943 / एक-4/अनुदान/2010-2011 दिनांक 10/8/ 2010			
लेखा शीर्षक- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर			
001-निदेशन तथा प्रशासन			
03-अधीक्षण			
डिजिट कोड- 2 0 3 9 0 0 0 0 1 0 3 0 0			
आहरण वितरण अधिकारी का कोड-2003			
क0सं0	कार्यालय का नाम	08-कार्यालय व्यय	योग
	सहायक आबकारी आयुक्त		
1	वाराणसी	65000	65000
2	इलाहाबाद	64500	64500
3	मिर्जापुर	37000	37000
4	आजमगढ	59500	59500
5	बस्ती	37500	37500
6	लखनऊ	59000	59000
7	फैजाबाद	47000	47000
8	बाराबकी	31000	31000
9	सुल्तानपुर	37000	37000
10	गोण्डा	37000	37000
11	बरेली	55000	55000
12	बदायूं	23500	23500
13	पीलीभीत	12000	12000
14	शाहजहांपुर	14000	14000
15	मेरठ	122000	122000
16	बागपत	12000	12000
17	बुलन्दशहर	31000	31000
18	गाजियाबाद	28000	28000
19	गौतमबुद्धनगर	14000	14000
20	रामपुर	28000	28000
21	बिजनौर	23500	23500
22	सहारनपुर	60500	60500
23	मुजफ्फरनगर	22000	22000

(0)Mdm.

10.08.10

24	आगरा	81500	81500
25	अलीगढ	71000	71000
26	कानपुर नगर	45500	45500
27	झांसी	53000	53000
	योग	1171000	1171000

(रूपये ग्यारह लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(Mdm  
(लोरिक यादव) 0.03.16

वित्त नियंत्रक